उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975

एवं

उसके अन्तर्गत जारी की गयी

नियमावलियॉ

तथा

अधिसूचनाएं

सतर्कता अनुभाग–4

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975	2–31
2.	उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (सक्षम प्राधिकारी) नियमावली, 1977	32–33
3.	उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977	34–40
4.	उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981	41–50
5.	अधिसूचना संख्या 4868/39(2)–39(6)–1975 दिनांक 30 अगस्त, 1977 (श्री विशम्भर दयाल, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की लोक आयुक्त पद पर नियुक्ति)	51
6.	अधिसूचना संख्या 5156/उन्तालिस (2)–39(6)–1975 दिनांक 15 सितम्बर, 1977 (लोक आयुक्त द्वारा 15 सितम्बर, 1977 की पूर्वान्ह में शपथ ग्रहणोंपरांत पदारूढ़ होना)	52
7.	अधिसूचना संख्या 23/39(4)–83–20(30)–81 दिनांक 4 जनवरी, 1983 (श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लोक आयुक्त पद पर नियुक्ति)	53
8.	अधिसूचना संख्या 126/39(4)–83–20(30)–81 दिनांक 20 जनवरी, 1983 (लोक आयुक्त द्वारा 10 जनवरी, 1983 को अपरान्ह में शपथ ग्रहणोंपरांत पदारूढ़ होना)	54
9.	अधिसूचना संख्या 3936/उन्तालिस (4)–89 दिनांक 10 जनवरी, 1989 (श्री के0एन0 गोयल, सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लोक आयुक्त पद पर नियुक्ति)	55
10.	अधिसूचना संख्या 535/39(4)–20(97)–88 दिनांक 4 फरवरी, 1989 (लोक आयुक्त द्वारा 28 जनवरी, 1989 को पूर्वान्ह में शपथ ग्रहणोंपरांत पदारूढ़ होना)	56
11.	अधिसूचना संख्या 325/39–4–95–15(12)/94 दिनांक 30 जनवरी, 1995 (श्री राजेश्वर सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) की लोक आयुक्त पद पर नियुक्ति)	57–58
12.	अधिसूचना संख्या 714/39–4–95–15(12)/94 दिनांक 2 मार्च, 1995 (लोक आयुक्त द्वारा 9 फरवरी, 1995 को पूर्वान्ह में शपथ ग्रहणोंपरांत पदारूढ़ होना)	59–60

13.	अधिसूचना संख्या 600/39–4–2000–15(2)/2000 दिनांक 7 मार्च, 2000 (श्री एस0सी0 वर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) की लोक आयुक्त पद पर नियुक्ति)	61–62
14.	अधिसूचना संख्या 40लो0आ0/39–4–2006–15(5)/2006 दिनांक 9 मार्च, 2006 (श्री एन0के0 मेहरोत्रा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) की लोक आयुक्त पद पर नियुक्ति)	63–64
15.	अधिसूचना संख्या लो0आ0–114/39–4–2006–15(5)/2006 दिनांक 16 मार्च, 2006 (लोक आयुक्त द्वारा 16 मार्च, 2006 को पूर्वान्ह में शपथ ग्रहणोंपरांत पदारूढ़ होना)	65–66
16.	अधिसूचना संख्या 1020/39(4)–39(13–4)–78 दिनांक 3 मार्च, 1978 (धारा 7(1)(3) के अन्तर्गत लोक सेवकों के कुछ वर्ग को अधिसूचित करके लोक आयुक्त के अधिकारिता में लाया जाना।	67
17.	अधिसूचना संख्या 1495/39(4)–39(13)–78 दिनांक 9 मार्च, 1978 (धारा 2(ञ)(5)(क) के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारियों को अधिसूचित करके उनके कर्मचारियों का लोक सेवक घोषित किया जाना।	68
18.	अधिसूचना संख्या 898/39(4)–39(13–1)–78 दिनांक 24 अगस्त, 1978 (धारा 2(ञ)(5)(ख) के अन्तर्गत निगमों को अधिसूचित किया जाना)।	69
19.	अधिसूचना संख्या 158/उन्तालीस(4)/181–12(2)/78 दिनांक 22 मई, 1981 (धारा 2(ञ)(5)(ग) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों तथा उसकी सहायक कम्पनियों को अधिसूचित किया जाना)।	70–72
20.	अधिसूचना संख्या 835/39–4–92–12(3)–78 दिनांक 22 अप्रैल, 1992 (धारा 2(ञ)(5) के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, निगमों, सरकारी कम्पनियों या सोसाइटियों को अधिसूचित किया जाना)।	73–74
21.	उत्तर प्रदेश उप लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008	75–79

———————

नियमावलियां तथा अधिसूचनाएं

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

*संख्या 3655 / सत्रह–दि0 1–97–75

लखनऊ, 8 सितम्बर, 1975 ई0

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 पर दिनांक 7 सितम्बर, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय मामलों में मन्त्रियों, विधायकों तथा अन्य लोक सेवकों के विरूद्ध शिकायतों तथा अभिकथनों का अन्वेषण करने के निमित्त कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिये।

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ :– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 कहलाएगा।

———————————————————————————

*सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक दिनांक 8 सितम्बर, 1975 में प्रकाशित।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा और यह उत्तर प्रदेश के बाहर उस राज्य के कार्यों के संबंध में तैनात लोक सेवकों पर भी लागू होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएं :– इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''कार्यवाही'' का तात्पर्य विनिश्चय, सिफारिश या उपपत्ति के रूप में या किसी भी अन्य रीति से की गई कार्यवाही से है और इसमें कोई कार्य करने में असफल रहना सम्मिलित है, और कार्यवाही की अर्थबोधक समस्त अन्य अभिव्यक्तियों का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा;

(ख) ''अभिकथन'' का तात्पर्य किसी लोक सेवक के संबंध में ऐसे किसी प्रतिज्ञान से है कि –

(1) उस लोक सेवक ने उसी रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुॅचाने के लिए किया है;

(2) वह उस लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित था; या

(3) वह उस लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कमी का दोषी है;

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य लोक सेवक के संबंध में –

(1) मंत्री या सचिव या विधान सभा के या विधान परिषद के सदस्य के मामले में मुख्य मंत्री से है;

(2) किसी भी अन्य लोक सेवक के मामले में ऐसे प्राधिकारी से है जो विहित किया जाय;

*(घ) ''शिकायत'' का तात्पर्य (1) किसी व्यक्ति के इस दावे से है कि वह कुप्रशासन के परिणामस्वरूप अन्याय या अनुचित कष्ट का भागी बना है; या

---

*अधिसूचना सं. 613/17वि0–1–1(क)–19–1989, दिनांक 31–3–89 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1989) द्वारा संशोधित।

(2) इस आशय के परिवाद से है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में किसी लोक सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ होने के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों के सदस्यों के लिए निर्धारित आरक्षित कोटा का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति की है,।''

(ड.) ''लोक आयुक्त'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है; और ''उप लोक आयुक्त'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''कुप्रशासन'' का तात्पर्य किसी कार्यवाही से है जो किसी मामले में प्रशासकीय कृत्यों के सम्पादन में की जाय या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो :

(1) जहॉ कि ऐसी कार्यवाही या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रकिया या पद्धति अयुक्तिसंगत, अन्यायपूर्ण उत्पीड़क या अनुचित रूप से विभेदकारी हो, या

(2) जहॉ कि ऐसी कार्यवाही करने में उपेक्षा या अनुचित विलम्ब हुआ हों या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रक्रिया या पद्धति में अनुचित विलम्ब सन्निहित हो;

(छ) ''मंत्री'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की मंत्रि परिषद के (मुख्य मंत्री से भिन्न) किसी सदस्य से है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाये; अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री;

(ज) ''अधिकारी'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवा या पद के लिए नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ञ) ''लोक सेवक'' नीचे वर्णित किसी भी प्रकार के व्यक्ति का द्योतक है, और इसके अन्तर्गत धारा 8 की उपधारा (4) के उपबन्धों के रहते हुए, कोई व्यक्ति जो पहले किसी भी समय नीचे वर्णित रूप में रहा हो, भी है, अर्थात –

(1) खण्ड (छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक मंत्री;

(2) उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य जो मुख्य मंत्री या खण्ड (छ) में निर्दिष्ट मंत्री न हो;

(3) खण्ड (ज) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी;

(4) (क) प्रत्येक क्षेत्र समिति का प्रमुख;

(ख) प्रत्येक जिला परिषद का अध्यक्ष;

(ग) प्रत्येक नगर महापालिका का नगर प्रमुख;

(घ) यू0पी0 म्यूनिसिपलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 2 के खण्ड(4) में यथा परिभाषित किसी सिटी नगर पालिका का प्रत्येक प्रेसीडेन्ट;

(ड.) सहकारी समितियों से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी जिला स्तर की केन्द्रीय समिति अथवा किसी शीर्ष समिति का कोई अशासकीय सभापति (जिसके अन्तर्गत उक्त विवरण का प्रत्येक पदाधिकारी भी है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) या प्रबन्ध निदेशक;

स्पष्टीकरण :– इस उप खण्ड में ''केन्द्रीय समिति'' का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसकी सदस्यता में अन्य सहकारी समितियॉ भी सम्मिलित हों और ''शीर्ष समिति'' का तात्पर्य राज्य स्तर की केन्द्रीय समिति से है;

(5) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उसका वेतन भोगी है –

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय;

(ख) उत्तर प्रदेश या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का कोई निगम (स्थानीय प्रधिकारी से भिन्न) जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ गजट में अधिसूचित किया जाय;

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम, 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी जिसमें समादत्त अंशपूँजी का 51 प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार या किसी कम्पनी द्वारा धारित है, जो किसी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूँजी का 51 प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई कम्पनी* और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय;

———————————————————————————————

*अधिसूचना सं. 943/सत्रह–वि–1–90–80, दिनांक 14, अप्रैल 1981, (उ0प्र0 अधिनियम सं0 7, 1981) द्वारा यथा संशोधित।

(घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है और जिसे उस सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाये;

(ट) ''सचिव'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव से है और इसके अन्तर्गत विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव भी हैं;

3. लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त की नियुक्ति :–

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, राज्यपाल, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा लोक आयुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति और उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों के रूप में ज्ञात होने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि –

(क) लोक आयुक्त को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति और विधान सभा में विरोधी दल के नेता से और यदि ऐसा नेता न हो तो उस व्यक्ति से, जिसे उस सदन में विरोध पक्ष के सदस्यगण ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश दें निर्वाचित करें, परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा,

(ख) उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों को लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात नियुक्त किया जायेगा;

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष, विधान सभा का यह समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान है जिनके कारण पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) के अनुसरण में विरोधी दल के नेता से परामर्श व्यावहारिक नहीं है तो वह राज्यपाल को विधान सभा में विरोधी दल के किसी अन्य सदस्य का नाम सूचित कर सकते हैं जिससे विरोधी दल के नेता के बजाय उक्त खण्ड के अधीन परामर्श किया जायेगा।

(2) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के या उनके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में

इस प्रयोजन के लिए दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) उप लोक आयुक्त, लोक आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे और विशिष्टया, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों के सुविधाजनक निपटारे के प्रयोजनों के लिए लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त को ऐसे सामान्य या विशेष निर्देश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह लोक आयुक्त को किसी उप लोक आयुक्त की किसी भी उपपत्ति, निष्कर्ष या सिफारिश पर आपत्ति करने के लिए प्राधिकृत करती है।

4. लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त द्वारा कोई अन्य पद ग्रहण न करना :–

लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं है और कभी नहीं रहा है और न्यास लाभ का कोई पद (लोक आयुक्त या यथास्थिति उप लोक आयुक्त के अपने पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार या वृत्ति नही करेगा, और तद्नुसार लोक आयुक्त या, यथास्थिति उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व –

(क) यदि वह पदासीन न्यायाधीश है या न्यास या लाभ का कोई अन्य पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्याग पत्र देगा; या

(ख) यदि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध है तो उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा; या

(ग) यदि वह कोई कारोबार कर रहा है तो ऐसे कारोबार के संचालन और प्रबन्ध से (स्वामित्व से अपने को वंचित न करते हुए) अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा; या

(घ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा है तो उस वृत्ति का करना निलम्बित कर देगा।

5. लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें :–

(1) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से छः वर्ष* की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि –

(क) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को, धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(2) यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय, या यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से, चाहे वह कुछ भी हो अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो जब तक धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को ग्रहण न कर ले, या यथास्थिति लोक आयुक्त या ऐसा उप लोक आयुक्त अपने कर्तव्यों का पुनारम्भ न करें उन कर्तव्यों का पालन :–

(क) जहॉ लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाये या जहॉ वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहॉ उप लोक आयुक्त द्वारा अथवा यदि दो या अधिक उप लोक आयुक्त हो तो उन उप लोक आयुक्तों में से ऐसे उप लोक आयुक्त द्वारा किया जायेगा जिसको राज्यपाल आदेश द्वारा निर्देश दें,

(ख) जहॉ उप लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहॉ वह अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो वहॉ स्वयं लोक आयुक्त द्वारा या यदि लोक आयुक्त ऐसा निर्देश दे तो अन्य उप लोक आयुक्त द्वारा या यथास्थिति, अन्य उप लोक आयुक्तों में से ऐसे किसी एक द्वारा किया जायेगा जैसा निर्देश में विर्निदिष्ट किया जाये।

———————————————————————————

*अधिसूचना सं. 487/सत्रह–वि0–(क)1–1988, दिनांक 4–4–88, (उ0प्र0 अधिनियम सं0 8, 1988) द्वारा यथा संशोधित।

(3) पद पर न रह जाने पर, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन (लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में या किसी भी अन्य हैसियत से) अग्रेत्तर सेवा योजन का, या किसी भी ऐसे स्थानीय प्रधिकारी, निगम, सहकारी, कम्पनी या सोसाइटी के अधीन जैसी धारा 2 के खण्ड (ग)* के उप खण्ड (5)* में निर्दिष्ट है, किसी भी सेवायोजन या किसी भी पद का पात्र नहीं होगा।

(4) लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(5) लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन यदि कोई हो और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जायें;

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों को विहित करने में –

(क) लोक आयुक्त की स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जायेगा।

(ख) उप लोक आयुक्त की स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जायेगा :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को देय भत्तों और पेंशन में यदि कोई हो, और उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

6. लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का हटाया जाना :–

(1) संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर न कि किसी अन्य आधार पर, राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा :

———————————————————————————

*अधिसूचना सं. 943/सत्रह–वि–1–90–80, दिनांक 14, अप्रैल 1981, (उ0प्र0 अधिनियम सं0 7, 1981) द्वारा यथा संशोधित।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार हटाये जाने से पूर्व उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन की जाने के लिये अपेक्षित जॉच –

[1] लोक आयुक्त के संबंध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ही की जायेगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति अथवा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है, तथा

[2] किसी उप लोक आयुक्त के संबंध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है अथवा किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपनी जॉच का प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, जो उसे यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेंगे।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को तब तक नहीं हटायेंगे जब तक कि इस प्रकार हटाये जाने के लिए प्रत्येक सदन के समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो–तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राज्यपाल के समक्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में प्रस्तुत न कर दिया जाय।

7. लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले :– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और परिवाद पर जिसमें तदर्थ की गयी शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, लोक आयुक्त किसी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा, जो –

(1) किसी मंत्री अथवा सचिव, और

(2) धारा 2 के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (2) या (4) में निर्निष्ट किसी लोक सेवक, या

(3) राज्य सरकार द्वारा लोक आयुक्त के परामर्श से तदर्थ अधिसूचित लोक सेवकों के किसी वर्ग या उप वर्ग के किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से की गयी हो।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और परिवाद पर जिसमें तदर्थ की गयी शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, कोई उप लोक आयुक्त किसी भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा जो मंत्री, सचिव अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य लोक सेवक से भिन्न किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से की गयी हो।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक आयुक्त, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किन्हीं भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा, जिसका अन्वेषण उस उपधारा के अधीन उप लोक आयुक्त कर सकता है।

(4) इस अधिनियम के अधीन यदि दो या अधिक उप लोक आयुक्त नियुक्त किये जाय तो लोक आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उनमे से प्रत्येक को ऐसे मामले सौंप सकेगा जिसका अन्वेषण इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोक आयुक्त द्वारा किये गये अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण के संबंध में उसके द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही या किये गये कार्य के संबंध में केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं उठायी जायेगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे मामले के संबधं में है जो ऐसे आदेश द्वारा उसे नहीं सौंपा गया है।

8. वे मामले जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा :– (1)एतद्पश्चात दिये गये उपबन्धों के सिवाय, लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण नहीं करेगा –

(क) सिवाय परिवाद पर जो धारा 9 के अधीन और अनुसार किया जाय;

(ख) जिस परिवाद में किसी कार्यवाही के संबंध में शिकायत सन्निहित हो, उस मामले में –

(1) यदि ऐसी कार्यवाही तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो;

(2) यदि परिवादी के पास किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के रूप में कोई उपचार है या था;

प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (2) की कोई बात लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को अन्वेषण करने से नहीं रोकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारण से उपखण्ड में निर्दिष्ट उपचार का आश्रय नहीं ले सकता है या था;

(2) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त कभी ऐसी कार्यवाही के संबंध में कोई अन्वेषण नहीं करेगा, –

(क) जिसके संबंध में लोक सेवक (जॉच) अधिनियम, 1850 (1850 का केन्द्रीय अधिनियम, 37) के अधीन किसी औपचारिक और सार्वजनिक जॉच के आदेश भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दे दिये गये हैं; या

(ख) जो ऐसे मामले के संबंध में है जो जॉच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम, 60) के अधीन जॉच के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अभिदिष्ट कर दिया गया है।

(3) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा 19 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के फलस्वरूप उसकी अधिकारिता से अपवर्जित हो जाती है।

(4) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त –

(क) किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें शिकायत सन्निहित हों, यदि परिवाद उस दिनांक से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् किया जाये जिस दिनांक को परिवादी परिवादित कार्यवाही से अवगत हो जाता है;

(ख) किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें अभिकथन सन्निहित हो यदि परिवाद उस दिनांक से पॉच वर्ष की समाप्ति के पश्चात किया जाय जिस दिनांक को परिवादित कार्यवाही का किया जाना अभिकथित है;

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट परिवाद को ग्रहण कर सकता है यदि परिवादी उसका समाधान कर देता है कि उस खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवाद न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था;

(5) जिस परिवाद में शिकायत सन्निहित हो उस मामले में इस अधिनियम की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायेगा कि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को किसी प्रशासकीय कार्यवाही पर आक्षेप करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें विवेक का प्रयोग सन्निहित है, किन्तु, इसका अपवाद वहॉ होगा जहॉ उसका समाधान हो जाय कि विवेक के प्रयोग में जो तत्व सन्निहित है उनका अभाव इस सीमा तक है कि यह नहीं माना जा सकता कि विवेक का उचित प्रयोग किया गया है।

(6) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमे धारा 2 के खण्ड (ञ) के उपखण्ड (4) या उपखण्ड (5) में निर्दिष्ट लोक सेवक के विरूद्ध शिकायत सन्निहित है।

9. परिवादों के संबंध में उपबंध :–

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए –

(क) किसी शिकायत के संबंध में, व्यथित व्यक्ति द्वारा;

(ख) किसी अभिकथन के संबंध में, लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा – लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया जा सकेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ व्यथित व्यक्ति मर गया हों या किसी कारण से स्वयं कार्य करने में असमर्थ हो, वहॉ परिवाद किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो विधि की दृष्टि में उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है या यथास्थिति, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो तदर्थ उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाय। *''अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी शिकायत की स्थिति में, जिसमें धारा 2 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (2) में निर्दिष्ट परिवाद अन्तर्ग्रस्त हो, परिवाद किसी ऐसे संगठन द्वारा भी किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त मान्यता दी गयी हो।''

(2) प्रत्येक परिवाद के साथ उसके समर्थन में नोटरी के समक्ष सत्यापित स्वयं परिवादी का निजी शपथ पत्र और उन सभी व्यक्तियों के भी शपथ पत्र होंगे। जिनके द्वारा अभियोग से संबंधित तथ्यों की सूचना प्राप्त होने का वह दावा करता है, और अभियोग से संबंधित सभी दस्तावेज होंगे जो उसके कब्जे या उसकी शक्ति में हों।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिवाद और शपथ–पत्र तथा इससे संलग्न कोई अनुसूची या अनुलग्नक का सत्यापन क्रमशः अभिवचनों और शपथ पत्रों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सं0 5, 1908) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

———————————————————————————————

*अधिसूचना सं. 613/17–वि–1–1(क)–19–1989, दिनांक 31–3–89 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1989) द्वारा यथा संशोधित।

(4) परिवादी द्वारा परिवाद की और उसके अनुलग्नकों की कम से कम प्रतियॉ प्रस्तुत की जायेंगी।

(5) कोई ऐसा परिवाद, जिसमें पूर्ववर्ती किसी भी उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया गया है, ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(6) उप धारा (1) से (5) तक में या किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस की अभिरक्षा में या कारागार में पागल व्यक्तियो के लिए किसी पागलखाना या अन्य स्थान में किसी व्यक्ति के द्वारा लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को लिखित किसी पत्र को बिना खोले और अविलम्ब पुलिस अधिकारी या उस कारागार, पागलखाना या अन्य स्थान के प्रभारी अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्रसारित किया जायेगा और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त यथास्थिति, उसको ग्रहण और उसको परिवाद के रूप में मान्य कर सकता है, किन्तु ऐसे परिवाद के संबंध में कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह उपधारा (2) के अधीन शपथ पत्र संलग्न या समर्थित न हो।

10. अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया :–

(1) जहॉ लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त (ऐसी प्रारम्भिक जॉच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने का प्रस्ताव करता है तो वह –

(क) उस परिवाद की प्रतिलिपि, संबंधित लोक सेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा;

(ख) संबंधित लोक सेवक को उस परिवाद पर अपनी टिप्पणियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा; और

(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में ऐसे आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(2) ऐसा प्रत्येक अन्वेषण असार्वजनिक होगा, और विशेषतः परिवादी तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त किसी निश्चित लोक महत्व के मामले से संबंधित कोई भी अन्वेषण सार्वजनिक रूप से कर सकेगा यदि वह, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसा करना उचित समझे।

(3) यथापूर्वोक्ति को छोड़कर, ऐसा कोई अन्वेषण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि लोक आयुक्त, या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त मामले की परिस्थिति में उपयुक्त समझे।

(4) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त, अपने विवेकानुसार किसी परिवाद का अन्वेषण करने से जिसमें शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, इन्कार कर सकेगा या उसे करना बन्द कर सकता है, यदि उसकी राय में, –

(क) वह परिवाद तुच्छ है या तंग करने के लिए किया गया है, अथवा सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है; या

(ख) अन्वेषण के लिए या, यथास्थिति, अन्वेषण चालू रखने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है; या

(ग) परिवादी के लिए अन्य उपचार उपलब्ध है और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, परिवादी के लिए उन उपचारों का लाभ प्राप्त करना अधिक उचित होगा।

(5) ऐसे किसी मामले में, जहॉ लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी परिवाद को ग्रहण नहीं करने का या किसी परिवाद के संबंध में कोई अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करे, वहॉ वह, उसके लिए अपने कारण, अभिलिखित करेगा और उन्हें परिवादी तथा संबंधित लोक सेवक को संसूचित करेगा।

(6) किसी भी कार्यवाही के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन ऐसी कार्यवाही को या अन्वेषणाधीन किसी भी मामले में आगे कार्यवाही करने की किसी लोक सेवक की किसी भी शक्ति या कर्तव्य को प्रभावित नहीं करेगा।

11. साक्ष्य :–

(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्वेषण (जिसमें ऐसे अन्वेषण के पूर्व की प्रारम्भिक जॉच भी यदि कोई हो, सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी भी लोक सेवक से या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में उस अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसी कोई भी सूचना देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को ऐसे किसी भी अन्वेषण (जिममें प्रारम्भिक जॉच भी सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित बातों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियॉ प्राप्त होंगी, अर्थात :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अभियाचना करना;

(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; तथा

(च) अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें।

(3) लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीयता बनाये रखने का कोई आभार या राज्य सरकार या किसी लोक सेवक के द्वारा अभिप्राप्त या उसे दी गयी सूचना के प्रकटीकरण पर कोई निर्बन्धन, चाहे वह किसी अधिनियमित द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा आरोपित हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ सूचना के प्रकटीकरण पर लागू नहीं होगा और राज्य सरकार या कोई लोक सेवक किसी ऐसे अन्वेषण के संबंध में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या साक्ष्य देने के बारे में किसी ऐसे विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा, जो विधिक कार्यवाहियों में किसी अधिनियमित या विधि के किसी निगम द्वारा अनुज्ञात है।

(5) इस अधिनियम के आधार पर कोई ऐसी सूचना देने, या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का ऐसा अंश प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जायेगी न उसको प्राधिकृत किया जायेगा –

(क) जिससे कि राज्य की सुरक्षा या भारत की प्रतिरक्षा या उसके अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों (जिसमें किसी भी अन्य देश की सरकार के साथ या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत के संबंध में भी सम्मिलित है) पर या अपराध के अन्वेषण या पता लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड सके; या

(ख) जिसमें कि राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल या उस मंत्रिमण्डल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटीकरण सन्निहित हो; और इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र बाध्यकर और निश्चियक होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोई भी सूचना, उत्तर या दस्तावेज का अंश, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है।

(6) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी साक्ष्य देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिए विवश नहीं किया जायेगा, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता हो।

12. लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त का प्रतिवेदन :–

(1) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात जिसके संबंध में परिवाद किया गया है, जिसमें शिकायत सन्निहित है लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को यह समाधान हो जाय

कि ऐसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है अथवा उसे अनुचित कष्ट हुआ है, तो लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त लिखित प्रतिवेदन द्वारा संबद्ध लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय अथवा अनुचित कष्ट का उपचार या निवारण ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर करना होगा जिसे प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) सक्षम प्राधिकारी जिसे उपधारा (1) के अधीन प्रतिवेदन भेजा जाय, प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर, लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त को प्रतिवेदन का अनुपालन करने के लिए की गयी कार्यवाही की सूचना देगा अथवा दिलवायेगा।

(3) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात जिसके संबंध में कोई परिवाद किया गया है जिसमें अभिकथन सन्निहित है लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त का समाधान हो जाय कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह लिखित प्रतिवेदन द्वारा सुसंगत दस्तावेजो, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित, अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश को सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (3) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त को प्रतिवेदन के आधार पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही प्रज्ञापित करेगा।

(5) यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उपधारा (1) तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट उसकी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गयी या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही से समाधान हो जाये तो वह सम्बद्ध परिवादी, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को, सूचित करते हुए मामले को समाप्त कर देगा, परन्तु जहॉ उसका इस प्रकार समाधान न हो और यदि यह मामले को इस योग्य समझे तो वह राज्यपाल को उसके बारे में एक विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा सम्बद्ध परिवादी को भी उसकी सूचना दे सकेगा।

(6) लोक आयुक्त तथा सभी उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के संबंध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे।

(7) उपधारा (5) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (6) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।

(8) धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक आयुक्त अपने द्वारा अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा समाप्त किये गये या अन्यथा निपटाये गये मामलों का सारांश, जो उसे सामान्य, शैक्षिक या वृत्तिक अभिरूचि का प्रतीक हो, ऐसी रीति से तथा ऐसे व्यक्तियों को समय समय पर सार स्वविवेकानुसार उपलब्ध करा सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

13. मिथ्या परिवाद के मामले में कार्यवाही :–

(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन जान बूझ कर या दुर्भाव से कोई मिथ्या परिवाद करता है, दोष सिद्ध होने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले में सेशन न्यायालय के अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) ऐसा कोई न्यायालय यथापूर्वोक्त ऐसे अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के निदेश पर लोक अभियोजक द्वारा किये गये लिखित परिवाद पर करेगा अन्यथा नहीं और सेशन न्यायालय ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी मामला उसको सुपुर्द न किये जाने पर भी कर सकेगा।

(4) ऐसा न्यायालय, मिथ्या परिवाद करने वाले व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर, जुर्माने की राशि में से परिवादी को प्रतिकर के रूप में ऐसी राशि दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(5) यदि लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को उसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत हो कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति ने अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने इस अधिनियम के अधीन किये गये परिवाद के समर्थन में कोई शपथ पत्र दाखिल किया है, जानते हुए यह जान बूझ कर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाये, तो यदि, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि उस व्यक्ति का, यथास्थिति, मिथ्या साक्ष्य देने व गढ़ने के लिए संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दण्डित किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात ऐसे अपराधी का संक्षिप्त विचारण यथासम्भव, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है और उसे, कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित कर सकेगा।

(6) जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179 या धारा 180 वर्णित है, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की दृष्टगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है तब वह अपराधी को अभिरक्षा में निरूद्ध कर सकता है और उसी दिन किसी समय अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का, कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात अपराधी को सादा कारावास से जिसकी

अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन विचारित प्रत्येक मामले में यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त वे तथ्य जिनसे अपराध बनता है उनको अपराधी द्वारा किये गये कथन के (यदि कोई हो) सहित तथा निष्कर्ष और दण्डादेश को भी अभिलिखित करेगा।

(8) उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के अधीन किये गये विचारण में सिद्ध दोष कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 29 के उपबन्ध, जहॉ तक वे लागू हो सकते हैं, इस धारा के अधीन अपीलों पर लागू होंगे, और अपील न्यायालय निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है या उस दण्ड को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, कम कर सकता है या उलट सकता है।

(9) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5), (6), (7) तथा (8) के उपबन्ध प्रभावी होंगे किन्तु इन उपधाराओं की कोई बात किसी ऐसे अपराध के संबंध में, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त की उपधारा (3) के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहॉ वह उपधारा (5), (6) तथा (7) के अधीन कार्यवाही करना पसन्द न करे।

(10) शब्द तथा पद, जो उपधारा (5) से (9) में प्रयुक्त किये गये हैं और जिन्हें, इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में है।

14. लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्तों का कर्मचारिवर्ग :–

(1) इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए, लोक आयुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा या करने के लिए किसी उप लोक आयुक्त को अथवा लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन पद धारण करता हो, उस सरकार की सहमति से प्रतिनियुक्ति के लिए रोकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या तथा प्रवर्ग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों की प्रशासनिक शक्तियॉ ऐसी होंगी, जैसी कि लोक आयुक्त से परामर्श के पश्चात किये गये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाये।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ –

(1) राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से, या

(2) अन्य किसी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

15. सूचना की गोपनीयता :–

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या प्रयोजनार्थ लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त या उनके कर्मचारियों द्वारा अभिप्राप्त कोई सूचना तथा ऐसी सूचना के संबंध में अभिलिखित या एकत्रित कोई साक्ष्य, धारा 10 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीय माने जायेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में किसी बात के होते हुए किसी भी न्यायालय को यह हक नहीं होगा कि वह लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त या किसी लोक सेवक को ऐसी सूचना के संबंध में साक्ष्य देने के लिए या इस प्रकार अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य को पेश करने के लिए बाध्य करें।

(2) उपधारा (1) की कोई बात –

(क) अन्वेषण के प्रयोजनार्थ या उसके बारे में किये जाने वाले किसी प्रतिवेदन में या ऐसे प्रतिवेदन पर की जाने वाली किसी कार्यवाही, या कार्यवाहियों (प्रोसिडिंग्स) के लिए; या

(ख) आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19) के अधीन किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध के संबंध में किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए या धारा 13 के अधीन किसी अपराध पर विचारण या धारा 16 के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए; या –

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनो के लिए जो विहित किये जाय; कोई सूचना या विशिष्टियां प्रकट करने पर लागू नहीं होंगी।

(3) तदर्थ विहित कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा लोक आयुक्त को लिखित नोटिस दे सकेगा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना अथवा इस प्रकार विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या सूचना के किसी भी वर्ग के संबंध में राज्य सरकार की राय में दस्तावेजों या सूचना या उस वर्ग की सूचना या दस्तावेजों को प्रकट करना लोक हित के विरूद्ध होगा और जहॉ ऐसी कोई नोटिस दे दी जाय वहॉ इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उसके द्वारा लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त या उनके कर्मचारिवर्ग का कोई भी सदस्य नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना को या इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के किसी दस्तावेज या सूचना को किसी व्यक्ति को संसूचित करने के लिए प्राधिकृत या

अपेक्षित है, जब तक कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अभिलिखित कारणों से यह राय न हो कि ऐसे दस्तावेज या सूचना के प्रकटीकरण में लोक हित सन्निहित नहीं है।

16. लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का साशय अपमान या विघ्न या उसकी अपकीर्ति करना :–

(1) जो कोई लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उस समय जबकि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन कर रहा हों साशय कोई अपमान करता है या उसके कार्य में कोई विघ्न डालता है, वह दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई या तो बोले गये या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा ऐसा कोई कथन करता है या प्रकाशित करता है या कोई अन्य कार्य करता है जो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अपकीर्ति के लिए प्रकल्पित हो वह दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या (2) की धारा 199 की उपधारा (2) से (6) के उपबन्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा 199 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में लागू होते है, परन्तु इस परिष्कार के अधीन कि ऐसे अपराध के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा कोई भी परिवाद –

(क) लोक आयुक्त के विरूद्ध किसी अपराध के मामले में लोक आयुक्त की,

(ख) उप लोक आयुक्त के विरूद्ध अपराध के मामले में, संबंधित उप लोक आयुक्त की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

17. संरक्षण :–

(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी भी कार्य के संबंध में, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त या धारा 14 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्सी या व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की कोई कार्यवाही औपचारिकता के अभाव में गलत नहीं मानी जायेगी, और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की किसी भी कार्यवाही या विनिश्चय

को, अधिकारिता के आधार का अपवाद करते हुए, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी, न उसका पुनर्विलोकन या अभिखण्डन किया जायेगा, न उस पर कोई आपत्ति की जायेगी।

18. लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना :–

(1) राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात यथास्थिति, लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में ऐसे अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा एवं लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित गठित या नियुक्त एजेन्सियों, प्राधिकारियों या अधिकारी वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियॉ प्रदान कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये लोक आयुक्त से किसी भी कार्यवाही को जो ऐसी कार्यवाही हो (जिसके संबध में इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को परिवाद किया जा सकता हो), अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी लोक आयुक्त ऐसे आदेश का पालन करेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त ऐसी किसी भी कार्यवाही का (जो ऐसी कार्यवाही हो जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोक आयुक्त को परिवाद किया जा सकता हो) अन्वेषण किसी उप लोक आयुक्त को सौंप सकेगा।

(4) जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (1) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदान किये जाये अथवा जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (3) के अधीन किसी कार्यवाही का अन्वेषण करना हो, तब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग एवं उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका प्रयोग वह किसी परिवाद पर जिसमें कोई अभिकथन सन्निहित हो, किये जाने वाले अन्वेषण के मामले में करता और इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।

19. लोक सेवक को कतिपय वर्गों के विरूद्ध परिवादों को अपवर्जित करने की शक्ति :–

(1) राज्य सरकार लोक आयुक्त के परामर्श से तथा उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोक सेवकों के किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध परिवादों को जिनमें शिकायत

या अभिकथन सन्निहित हों, लोक आयुक्त अथवा यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी,

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी अधिसूचना उन लोक सेवकों के संबंध में जारी नहीं की जायेगी जो एक हजार रूपये या अधिक के न्यूनतम मासिक वेतन (भत्तों को छोड़कर) वाले पद धारण कर रहे हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब यह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए जो एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखी जायेगी और यदि उक्त अवधि समाप्ति के पूर्व सदन अधिसूचना में कोई परिष्कार करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात से सहमत हो कि अधिसूचना का अभिशून्यन किया जाना चाहिए, और ऐसा निर्णय सरकारी गजट में अधिसूचित कर दें तो अधिसूचना ऐसे निर्णय के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप से प्रभावी होगी अथवा, यथास्थिति, प्रभावहीन हो जायेगी, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त अधिसूचना के कारण पहले की गयी किसी बात की वैद्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगी।

20. प्रत्यायोजन की शक्ति :–

लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त किसी लिखित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों अथवा उस पर आरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों (धारा 12 के अधीन राज्यपाल का प्रतिवेदन देने की शक्ति के सिवाय) का प्रयोग या पालन धारा 14 में निर्दिष्ट* ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों,* अथवा एजेन्सियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो आदेश में निर्दिष्ट किये जाये।

''20–क– एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि लोक आयुक्त व्यय का या उप लोक आयुक्तों को या उनके संबंध में देय, वेतन संचित निधि भत्ता और पेंशन, उनके कर्मचारिवर्ग और कार्यालय से पर भारित संबंधित व्यय और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के होना
संबंध में अन्य व्यय उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि
पर भारित व्यय होगा।''

21. नियम बनाने की शक्ति :–

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है;

———————————————————————————————

*अधिसूचना सं. 943/सत्रह–वि–1–90–80, दिनांक 14, अप्रैल 1981, (उ0प्र0 अधिनियम सं0 7, 1981) द्वारा यथा संशोधित।

(क) धारा 2 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (2) के अधीन विहित किये जाने के निमित्त अपेक्षित प्रयोजन के लिए प्राधिकारी;

(ख) लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों को देय भत्ते और पेंशन, यदि कोई हो एवं सेवा की अन्य शर्तें;

(ग) प्रपत्र, यदि कोई हो, जिसमें परिवाद किया जा सकेगा तथा फीस, यदि कोई हो, जो उसके संबंध में ली जा सकेगी, और जिस व्यक्ति के विरूद्ध अभिकथन किया जाये उसके विरूद्ध खर्चे के लिए प्रतिभूति, यदि कोई हो, जिसे देना अपेक्षित हो;

(घ) किसी सिविल न्यायालय की शक्तियॉ जो लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी;

(ड.) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है या जिसके संबंध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त उपबन्ध है और राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए उपबन्ध होना आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए जो एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखा जायेगा और यदि उक्त अवधि के दौरान सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात से सहमत हो कि नियम का अभिशून्यन किया जाना चाहिए और ऐसा निर्णय सरकारी गजट में अधिसूचित कर दें तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा यथास्थिति, प्रभावहीन हो जायेगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

22. संदेहों को दूर किया जाना :–

संदेहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को –

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित न्यायिक–सेवा के किसी सदस्य,

(ख) किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,

(ग) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,

(घ) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य, या उसके कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य,

*(ङ.) संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

(च) राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य, के विरूद्ध किसी *अभिकथन या शिकायत का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करती है।

*(छ) राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य।

23. अपवाद :–

इस अधिनियम के उपबन्ध किसी भी ऐसी अन्य अधिनियमिति या विधि के किसी नियम के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन परिवाद करने वाले व्यक्ति को किसी अन्य रीति से, कोई उपचार उपलब्ध है और इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार का लाभ उठाने के अधिकार को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेंगी।

24. निरसन :–

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अध्यादेश, 1975 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 13, 1975) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

———————————————————————————

*अधिसूचना सं. 613/17वि–1–1(क)–19/1989, दिनांक 31–3–89 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1989 द्वारा यथा संशोधित।

————————

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 (2) देखिये]

मै ..... जो लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, इश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा।

द्वितीय अनुसूची

[धारा 5 (4) देखिये]

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त को वास्तविक सेवा में बिताये गये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा अर्थात –

लोक आयुक्त

यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति* को समय समय पर क्रमशः अनुमन्य वेतन।

———————————————————————————

*अधिसूचना सं. 1294/सात–वि–1–01(क)–34/2006, दिनांक 26–10–2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 2006) द्वारा यथा संशोधित।

उपलोक आयुक्त

यदि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय–समय पर अनुमन्य वेतन और किसी अन्य स्थिति में भारत सरकार के किसी अपर सचिव को समय–समय पर अनुमन्य वेतन :

प्रतिबन्ध :–

यह है कि यदि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अधीन या राज्य सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अधीन पहले की गयी सेवा के बारे में (नियोग्यिता या क्षत पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन मिलती हो तो लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की हैसियत से सेवा के बारे में उसके वेतन में से निम्नलिखित राशियां घटा दी जायेंगी :–

(क) पेंशन की राशि; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका सराशीकृत मूल्य प्राप्त किया हो तो पेंशन के उस भाग की राशि,

तृतीय अनुसूची

[धारा 8 (1) (ख) (1) देखिये]

(क) अपराध का अन्वेषण करने अथवा राज्य की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ की गई कार्यवाही।

(ख) यह अवधारित करने के संबंध में कि न्यायालय में कोई मामला जायगा या उसका अभियोजन जारी रहेगा या नहीं शक्तियों का प्रयोग करके की गयी कार्यवाही।

(ग) उन विषयों में जो ग्राहकों या पूर्तिकर्ताओं के साथ, यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य निगम, कम्पनी, या सोसाइटी के प्रशासन के केवल वाणिज्यिक सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाली संविदा के निर्बन्धनों से प्रोद्भूत हो, की गई कार्यवाही, सिवाय उस दशा के जब परिवादी संविदायी आधार को पूरा करने में परेशानी अथवा घोर विलम्ब का अभिकथन करता हो।

(घ) लोक सेवकों की नियुक्ति* (जो धारा 2 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (2) में निर्दिष्ट नियुक्ति न हो। निष्काषन, वेतन, अनुशासन, अधिवार्षिकी या सेवा शर्तों से संबंधित अन्य विषयों के बारे में की गयी कार्यवाही, किन्तु इसके अन्तर्गत पेंशन, अनुग्रह राशि, भविष्य निधि का कोई दावा अथवा सेवानिवृत्ति, निष्कासन अथवा सेवा समापन से प्रोद्भूत कोई दावा सम्मिलित नहीं है।

(ड.) सम्मान तथा पारितोषिक का प्रदान किया जाना।

आज्ञा से
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

---

*अधिसूचना सं. 613/17वि–1–1(क)–19/1989, दिनांक 31–3–89 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1989) द्वारा यथा संशेधित।

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–2,
*संख्या 5548 / 39(2)–39(4–1)–77
[उत्तर प्रदेश अधिनियम, 42 / 1975–नियमावली–1–1977]
लखनऊ, 28 अक्टूबर, 1977
अधिसूचना
———————
विविध

प0आ0 484

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 42, 1975) की धारा 21 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (सक्षम प्राधिकारी) नियमावली, 1977

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना – (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (सक्षम प्राधिकारी) नियमावली, 1977 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह मंत्री, सचिव, विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य को छोड़कर समस्त ऐसे लोक सेवकों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 42, 1975) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के साथ पठित धारा 2 (ञ) में परिभाषित हो।

———————————————————————————

*सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक दिनांक 28 अक्टूबर, 1977 में प्रकाशित।

2. परिभाषाएं – इस नियमावली में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो;

(1) ''राज्यपाल'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(2) ''राज्य सरकार'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से है।

(3) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 42, 1975) से है।

(4) ''मुख्य सचिव'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव से है।

(5) ''सचिव'' से तात्पर्य ऐसे सचिव से है जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ट) में परिभाषित हो।

(6) ''लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया जाय।

3– राज्य सरकार उन लोक सेवकों के मामलों में जो नियम 1 के उपनियम (3) मे इंगित है और अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (2) की परिधि में आते हैं, मुख्य सचिव को सक्षम प्राधिकारी विहित करती है।

आज्ञा से
कृपा नारायण,
मुख्य सचिव

———

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–2,
*संख्या 5226 / 39(2)–39(4–4)–1977
[उत्तर प्रदेश अधिनियम, 42 / 1975–नियमावली–2–1977]
लखनऊ, 28 अक्टूबर, 1977

अधिसूचना

प0आ0 491

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं – जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में –

(क)''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 42, 1975) से है।

———————————————————————————

*सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक दिनांक 24 अगस्त, 1978 में प्रकाशित।

(ख) ''परिवाद'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन किये गये परिवाद से है।

3. परिवाद का प्रपत्र –

(1) प्रत्येक परिवाद, तथा व्यवहार्य, अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र के अनुसार किया जायेगा।

(2) परिवाद का प्रस्तुतीकरण – परिवाद पत्र लोक आयुक्त के सचिव को प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है।

4. *परिवादी द्वारा प्रतिभूति जमा की जायेगी –

(1) परिवादी द्वारा ऐसे अभिकथन के परिवाद के संबंध में जो धारा 9 की उप धारा (6) में निर्दिष्ट परिवाद न हो, खर्च के लिए प्रतिभूति के रूप में 1000/– रूपये (केवल एक हजार रूपये) का भुगतान किया जायेगा;

परन्तु लोक आयुक्त पर्याप्त कारण से, जिसे अभिलिखित किया जायेगा, किसी परिवादी को इस उपनियम की अपेक्षा से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकता है।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिभूति की धनराशि परिवादी द्वारा कोषागार चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी शाखा में शीर्षक ''8443–सिविल निक्षेप–00–103–प्रतिभूति– निक्षेप–00–00'' के अन्तर्गत जमा की जायेगी। कोषागार चालान की एक प्रति परिवाद के साथ संलग्न की जायेगी।

———————————————————————————

*अधिसूचना सं. 77/लो0आ0/39–4–04–2/1978 दिनांक 31–05–2005 द्वारा यथा संशोधित।

(3) यथास्थिति, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त किसी परिवाद का जिसमें कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त है, निस्तारण करते समय प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग का समापहरण करने और समपहृत धनराशि का उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया था, प्रतिकर के रूप में भुगतान करने का निर्देश दे सकता है;

परन्तु उसी विषय से संबंधित किसी अनुवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर देते समय न्यायालय इस उपनियम के अधीन प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई किसी धनराशि को ध्यान में रखेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन समपहृत धनराशि, यदि कोई हो, से भिन्न प्रतिभूति की जमा धनराशि परिवाद का निस्तारण हो जाने के पश्चात परिवादी को वापस कर दी जायेगी।

5. ऐसा परिवाद जिसमें इस नियमावली में या अधिनियम में निर्धारित शतों में से किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है, ग्रहण नहीं किया जायगा। फिर भी, परिवादी को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, परिवादी को पूरा करने का अवसर दिया जा सकता है।

———————

राजकीय अधिसूचना सं. 5226/उन्तालीस(2)–39(4–4)–77
दिनांक 28 अक्टूबर, 1977
का
अनुलग्नक

कार्यालय प्रयोग के लिए
(परिवादी द्वारा नही भरा जायेगा)
प्राप्ति का दिनांक
संख्या .....

''शिकायत'', ''अभिकथन'' [उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) और (घ) में यथापरिभाषित] संबंधी परिवाद का प्रपत्र जो लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त को दिया जायगा।

(तीन प्रतियों में भरा जायेगा)

[कृपया उक्त अधिनियम की धारा 9 और उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977 देखिये]

1. परिवादी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. (क) व्यवसाय :
   (ख) क्या आप लोक सेवक हैं ? या नहीं :
   (ग) यदि परिवाद किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से है तो उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध बतायें। यह साबित करने के लिए कि आप उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करतें हैं या उसने इस निमित्त आपको प्राधिकृत किया है, दस्तावेज भी यदि कोई हो, संलग्न करें।
   :
4. स्थायी पता :
   (क) नाम :
   (ख) स्थान :
   (ग) डाकघर या पुलिस थाना :
   (घ) जिला :
5. पता जिस पर सूचना भेजी जाय :
   (क) नाम :
   (ख) स्थान :

(ग) डाकघर या पुलिस थाना :

(घ) जिला :

6. (1) जिस व्यक्ति के विरूद्व परिवाद किया जा रहा हो उसका नाम, पदनाम (जो मामले के विषय में परिवाद किये जाने के समय पर रहा हो) और वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो,) :

(2) दिनांक जब परिवाद का कारण उत्पन्न हुआ हो, :

(3) परिवाद विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण, [यदि परिवाद धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन समय व्यतीत हो जाने पर किया गया हो], :

(4) क्या परिवाद पहले किसी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष किया गया था या किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की गई थी, यदि हॉ तो उसका क्या परिणाम निकला, यदि नहीं, कृपया संक्षेप में कारण बतायें।

7. क्या यह,

(क) कोई अभिकथन* (अधिनियम की धारा 2(ख) में यथापरिभाषित) है या,

(ख) कोई शिकायत** (अधिनियम की धारा 2(घ) में यथापरिभाषित) है। :

———————————————————————————

*धारा 2(ख) ''अभिकथन'' का तात्पर्य किसी लोक सेवक के संबंध में ऐसे किसी प्रतिज्ञान से है कि –

(1) उस लोक सेवक ने उसी रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुंचाने के लिये किया है,

(2) वह उस लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित था, या

(3) वह उस लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कमी का दोषी है।

**धारा 2(घ) ''शिकायत'' का तात्पर्य किसी व्यक्ति के उस दावे से है कि वह कुप्रशासन के परिणामस्वरूप अन्याय या अनुचित कष्ट का भागी बना है।

8. चालान संख्या और नियम 4 के अधीन खर्च के लिए प्रतिभूति जमा करने का दिनांक –

टिप्पणी –

(1) उक्त धनराशि शीर्षक ''8443–सिविल निक्षेप–00–103– प्रतिभूति–निक्षेप–00–00'' के अधीन भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा की जा सकती है।

(2) किसी ''शिकायत'' की स्थिति में कोई धनराशि जमा करना अपेक्षित नहीं हैं।

(3) चालान की मूलप्रति परिवाद के साथ संलग्न की जाय [नियम 8(2) देखिए]।

9. ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्होंने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र दिये हों।

10. क्या ऐसे अन्य व्यक्ति भी हैं जिन्हें परिवाद से सम्बन्धित तथ्यो के बारे में जानकारी हो, जिन्हे लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त द्वारा समन करना चाहें।,

11. परिवाद से संलग्न दस्तावेजों की सूची जिसमें परिवादी का शपथ पत्र भी सम्मिलित है।

12. परिवाद का विवरण –

[कृपया यहॉ पर परिवाद के सम्पूर्ण तथ्य बतायें। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अतिरिक्त बढ़ाये जा सकते है।]

टिप्पणी – परिवादी द्वारा सादे कागज पर प्रपत्र की प्रतिलिपि की जा सकती है। शिकायत की अपेक्षानुसार अतिरिक्त पृष्ठ बढ़ाये जा सकते हैं।

आज्ञा से

इन्द्र मोहन सहाय,

सचिव

———

उत्तर प्रदेश सरकार

सतर्कता अनुभाग –2

*संख्या 3794 / उन्तालिस (2)–39(6)–75

लखनऊ, दिनांक 12 जुलाई, 1977

अधिसूचना

विविध

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1975) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख 12 जुलाई, 1977 निर्धारित करते हैं।

आज्ञा से

इन्द्र मोहन सहाय,

सचिव

---

*सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक, दिनांक 12 जुलाई, 1977 में प्रकाशित।

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4
संख्या–2829/उन्तालिस (4)/81–2(3)–79
लखनऊ, 5 सितम्बर, 1981

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश अधिनियम 42/1975 नियमावली, 1981

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975) की धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन शक्ति का और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषाएं – जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, –

(क) ''परिशिष्ट'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट से है,

(ख) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ग) ''मुख्यालय'' का तात्पर्य लखनऊ से है जहॉ लोक आयुक्त का कार्यालय स्थित है,

(घ) ''लोक आयुक्त'' के अन्तर्गत उप लोक आयुक्त नहीं हैं।

3– किराया मुक्त सरकारी निवास स्थान– (1) लोक आयुक्त को किराया मुक्त सरकारी निवास स्थान दिया जायगा जिसमें उतनी जगह और अन्य सुविधाएं होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित की जायें।

(2) यदि लोक आयुक्त सरकारी निवास स्थान का उपयोग नहीं करते हैं तो उन्हें उनके मासिक वेतन के साढ़े बारह प्रतिशत के बराबर धनराशि मासिक मकान किराया भत्ता के रूप में दी जायगी।

4– सवारी– लोक आयुक्त सरकारी मोटर का उपयोग करने के हकदार होंगे। यदि उन्हें सरकारी मोटर कार की व्यवस्था न की जाय तो उन्हें तीन सौ रूपये प्रतिमास का मासिक सवारी भत्ता दिया जायगा यदि वे सरकारी प्रयोजनों के लिए अपनी निजी मोटर का उपयोग करते हैं।

5– चिकित्सीय उपचार के लिए सुविधायें– लोक आयुक्त और उनके परिवार के सदस्य चिकित्सीय उपचार के लिये ऐसी सुविधाओं के हकदार होंगे जो आल इण्डिया सर्विसेज (मेडिकल अटेन्डेन्ट) रूल्स, 1954 के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध हैं।

6– यात्रा भत्ता– लोक आयुक्त को ऐसा यात्रा भत्ता मिलेगा और यात्रा के संबध में ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी, जैसी परिशिष्ट–एक में दी गयी है।

7– सामान्य भविष्य निधि– लोक आयुक्त को उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि में तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार अभिदाय करने का विकल्प होगा।

8– छुट्टी– (1) लोक आयुक्त विभिन्न प्रकार की छुट्टी के, जैसा कि परिशिष्ट–दो में दिया गया है, हकदार होंगे।

(2) राज्यपाल लोक आयुक्त को ऐसी छुट्टी स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे।

9– *पेंशन (1) इस नियम में, पद :– (क) ''पूर्व सेवा'' का तात्पर्य लोक आयुक्त के रूप में से नियुक्ति के पूर्व की गयी सरकारी सेवा से है;

(ख) ''पूर्व सेवा के लिये पेंशन'' का तात्पर्य पूर्व सेवा के लिए अनुमन्य पेंशन से है, जिसके अन्तर्गत पेंशन का संराशीकृत भाग, यदि कोई हो, और सेवानिवृत्ति उपादान के बराबर पेंशन भी है;

(ग) ''कुल पेंशन'' का तात्पर्य ऐसी पेंशन से है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को सुसंगत नियमों के अधीन, जिसके अन्तर्गत आल इंडिया सर्विसेज डेथ–कम–रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1958 के साथ पठित हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 का नियम 2 भी है, पूर्व सेवा के लिये जिसकी संगणना लोक आयुक्त के रूप में की गयी सेवा की अवधि में जोड़कर की जायेगी, अनुमन्य होगी।

(2) जहॉ लोक आयुक्त की पूर्व सेवा के लिये कोई पेंशन अनुमन्य हो, वहॉ वह, लोक आयुक्त के रूप में कम से कम पॉच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर ऐसी अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे जो पूर्व सेवा की पेंशन और कुल पेंशन की धनराशि के अन्तर की धनराशि के बराबर होगी।

(3) जहॉ किसी पूर्व सेवा के लिए लोक आयुक्त को कोई पेंशन अनुमन्य न हो, वहॉ वह लोक आयुक्त के रूप में अपना पूरा कार्यकाल समाप्त होने पर, इस रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 1200 रूपये प्रतिवर्ष की पेंशन के हकदार होंगे।

10. लोक आयुक्त के अन्य भत्ते और सेवा की शर्तें, जिसमें किरायामुक्त सरकारी आवास या मकान किराया भत्ता, वाहन या वाहन भत्ता, चिकित्सीय उपचार के लिये सुविधायें, यात्रा और अन्य भत्ते, सामान्य भविष्य निधि, उपादान, पारिवारिक पेंशन, मंहगाई भत्ता, निवृत्तोत्तर अवकाश नकदीकरण और चिकित्सा और अन्य सुविधायें, जिनके लिये अधिनियम या इस नियमावली में स्पष्ट रूप से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, यथावत् वही होंगी, जैसी की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पर तत्समय प्रयोज्य हों।

———————————————————————————————

*अधिसूचना सं. 263/उन्तालिस–4/98–2(3)/1979 दिनांक 5–2–1998 द्वारा यथासंशोधित।

परिशिष्ट–एक

(नियम 6 देखिये)

1– जब लोक आयुक्त कर्तव्यरूढ़ यात्रा करें तब वह निम्नलिखित के हकदार होंगेः–

(क) रेल से यात्रा करने के लिए, उच्चतम श्रेणी का (जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित भी है) दो बर्थ वाला (आरक्षित कम्पार्टमेंट) और यदि ऐसा एक कम्पार्टमेंट उपलब्ध न हो तो उच्चतम श्रेणी का (जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित नहीं है) चार बर्थ वाला आरक्षित कम्पार्टमेंट और दो से अनधिक सेवकों के लिए वास्तव में भुगतान किया गया निम्नतम श्रेणी की दर पर किराया;

(ख) किसी स्टीमर सेवा से यात्रा के लिए एक प्रथम श्रेणी का आरक्षित कैबिन यदि उपलब्ध हो, या स्वयं के लिए वास्तव में भुगतान किया गया किराया, और दो से अनधिक सेवकों के लिये स्टीमर सेवा के लिये वास्तव में भुगतान किया गया निम्नतम श्रेणी की दर पर किराया जिसमें से भोजन परिव्यय के मध्दे सामान्य कटौतियां की जायेंगी,

(ग) सार्वजनिक वायु परिवहन सेवा से यात्रा के लिए स्वयं के लिए भुगतान किया गया किराया और यदि वास्तव में भुगतान किया गया हो तो रेल से यात्री दर पर या स्टीमर से 75 किलोग्राम तक सामान के परिवहन का व्यय, और दो से अनधिक सेवकों के लिए वास्तव में भुगतान किया गया निम्नतम श्रेणी का रेल या स्टीमर किराया और सड़क के सामान का परिवहन करने पर वास्तव में उपगत व्यय जो सड़क से यात्रा के उस भाग के लिए जिसके लिये खण्ड (घ) के अधीन किसी भत्ते का दावा न किया जाय, अधिकतम 32 पैसा प्रति किलोमीटर होगा,

(घ) सड़क से यात्रा के लिए 64 पैसे प्रति किलोमीटर की दर पर भत्ता :–

परन्तु–

(एक) सड़क से यात्रा के उस भाग के संबंध में, जिसके लिए सार्वजनिक वायु परिवहन सेवा अपने निजी परिवहन व्यवस्था करता हो, और जिस यात्रा के लिए किराया वायुयान से यात्रा करने के लिए खण्ड (ग) के अधीन भुगतान किये गये वायुयान के किराये में सम्मिलित कर लिया गया हो, ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा,

(दो) लोक आयुक्त के निवास से आठ किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर की गयी यात्रा या ऐसे निवास स्थान या अस्थायी निवास स्थान और लोक आयुक्त के बैठक के स्थान के बीच की यात्रा के लिये कोई मील भत्ता अनुमन्य नहीं होगा,

(तीन) जहॉ दैनिक भत्ता अनुमन्य हो और किसी दिन के लिए उसका दावा किया जाय वहॉ ठहरने के स्थान पर लोक आयुक्त के अस्थायी निवास स्थान से आठ किलोमीटर के अर्ध व्यास के भीतर सड़क से की गयी किसी यात्रा के संबंध में कोई अतिरिक्त मील भत्ता अनुमन्य नहीं होगा,

(चार) ऐसे मामलों में, जहॉ लोक आयुक्त सरकारी खर्च पर दिये गये परिवहन का उपयोग करता है, ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा।

(ड.) रेल यात्रा के लिए, आनुषंगिक व्यय के लिए भत्ता, जो लोक आयुक्त द्वारा उपगत वास्तविक व्यय तक सीमित और प्रथम श्रेणी के रेल के किराये के आधे से अनधिक होगा,

(च) वायुयान से यात्रा के लिए, आनुषंगिक व्यय के लिए मानक वायुयान किराये के पांचवे भाग के बराबर किन्तु वायुयान से प्रत्येक यात्रा के लिए अधिकतम 10 रूपये भत्ता;

(छ) अपने मुख्यालय के बाहर कर्तव्यारूढ़ ठहरने की किसी अवधि के लिए (जिसके अन्तर्गत रविवार और अन्य अवकाश का दिन भी है) 25 रू0 की दर पर दैनिक भत्ता,

परन्तु जब लोक आयुक्त से अपने मुख्यालय से दूर के परिक्षेत्रों में उनके सामान्य कर्तव्यों से भिन्न कृत्यों का सम्पादन करने की अपेक्षा की जाय, तब उन्हें ऐसी शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करें साधारण परिक्षेत्रों के लिये 35 रूपये से अनधिक का दैनिक भत्ता और विशेष रूप से खर्चीले परिक्षेत्रों जैसे बम्बई, कलकत्ता या राज्य सरकार द्वारा इसके पश्चात इस प्रकार घोषित किसी अन्य परिक्षेत्र के लिये 40 रूपये से अनधिक का दैनिक भत्ता और 10 रूपये प्रतिदिन से अनधिक का परिवहन व्यय स्वीकृत किया जा सकता है और वह ऐसी दरों पर जैसी सरकारी सेवकों के लिये निर्धारित है, सरकारी आवास के भी हकदार होंगे।

2–यदि लोक आयुक्त के साथ उपर्युक्त पैरा–1 के अधीन उनके लिए आरक्षित कम्पार्टमेंट या कैबिन में कोई व्यक्ति (सेवकों से भिन्न) यात्रा कर रहा हो तो उनके मध्दे किराया उसके द्वारा देय होगा, और इस प्रकार भुगतान किया गया किराया, यदि आरक्षित स्थान के लिए पूरे टरिफ रेट का भुगतान सरकार द्वारा किया गया हो, सरकार के नाम डाला जायेगा।

3– (1) मुख्यालय को और वहॉ से की गयी समस्त यात्रा, यथास्थिति, मुख्यालय पर या मुख्यालय से बाहर लोक आयुक्त के निवास स्थान से प्रारम्भ हुई और वहीं पर समाप्त समझी जायगी।

(2) पद ''वास्तविक व्यय'' का तात्पर्य यात्रा से आनुषंगिक साधारण और सामान्य व्यय से है और इसके अन्तर्गत नौघाट सम्बन्धी प्रभार, पथ–कर का भुगतान शिविर के सामान के परिवहन पर व्यय की गयी धनराशि भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य प्रभार जैसे होटल व्यय, किसी यात्री बंगला के अध्यासन का किराया खर्च, जलपान का खर्च, स्टोर की ढुलाई का या सवारी व्यय का कोचवान को दी गई भेंट या बैरा को दिया गया इनाम या ऐसी आनुषंगिक हानि या खर्च जैसे क्राकरी के टूटने, फर्नीचर की टूट–फूट और अतिरिक्त सेवकों के नियोजन के लिये कोई अन्य भत्ता नहीं है।

4– जब कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से सरकारी सेवा में न हो, लोक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाय, यदि अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये रेल से यात्रा करें तब वह वातानुकूलित कम्पार्टमेंट को छोड़कर और उपर्युक्त पैरा–2 में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, उच्चतम श्रेणी के किसी आरक्षित कम्पार्टमेंट में यात्रा कर सकता हैं।

5– जब लोक आयुक्त छुट्टी पर जायें या छुट्टी से लौटें, तब वे यदि रेल से यात्रा करे, वातानुकूलित कम्पार्टमेंट को छोड़कर और उपर्युक्त पैरा–2 में निहित शर्तों के अधीन रहते हुए, उच्चतम श्रेणी के आरक्षित कम्पार्टमेन्ट में यात्रा कर सकते हैं।

6– जब लोक आयुक्त या उनके परिवार का कोई सदस्य नियमों के अधीन समुचित चिकित्सा सेवा और उपचार के लिये यात्रा करें, तब वह वही यात्रा–भत्ता पाने का हकदार होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव की श्रेणी के अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को ऐसी यात्रा के लिये अनुमन्य हो।

7–(1) ऐसे लोक आयुक्त की स्थिति में, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय, उनके परिवार के सदस्य लोक आयुक्त की मृत्यु के समय, उनके मुख्यालय से उनके गृह राज्य में स्थायी निवास स्थान तक सबसे कम दूरी के मार्ग से यात्रा करने के लिये निम्नलिखित व्यय के हकदार होंगे, बशर्ते ऐसी यात्रा लोक आयुक्त की मृत्यु के दिनांक से छः मास के भीतर की जाय :–

(क) रेल या स्टीमर या दोनों से यात्रा के लिए :–

(एक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए बिना किसी आनुषंगिक व्यय के, प्रथम श्रेणी का वास्तविक किराया।

(ख) सड़क से यात्रा के लिए :–

(एक) परिवार के एक सदस्य के लिए 32 पैसे प्रति किलोमीटर का भत्ता यदि परिवार के दो अन्य सदस्य यात्रा करें तो 32 पैसे प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भत्ता और यदि परिवार के दो से अधिक अन्य सदस्य यात्रा करें तो 32 पैसे प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भत्ता,

(दो) व्यक्तिगत सामान के परिवहन का वास्तविक व्यय ऐसे व्यय तक सीमित होगा, जो माल गाड़ी से 2240 किलोग्राम सामान के परिवहन में हो और ऐसे व्यक्तिगत सामान के चढ़ाने और उतारने में उपगत व्यय।

(2) मृत लोक आयुक्त के परिवार के किसी सदस्य द्वारा लोक आयुक्त की मृत्यु के समय उनके मुख्यालय से उनके गृह राज्य में उनके स्थायी निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान को ऐसे अन्य स्थान से जहॉ उक्त सदस्य लोक आयुक्त की मृत्यु के समय हो, लोक आयुक्त के गृह राज्य में उनके स्थायी निवास स्थान से भिन्न स्थान को यात्रा करने के लिये उपर्युक्त पैरा (1) में

विनिर्दिष्ट व्यय अनुमन्य होगा, परन्तु यात्रा लोक आयुक्त की मृत्यु के दिनांक से छः मास के भीतर की जाय और ऐसी यात्रा के लिये दावाकृत कुल व्यय ऐसी धनराशि से अधिक न हो जो ऐसे सदस्य को अनुमन्य होता यदि वह लोक आयुक्त के मुख्यालय से उनके गृह राज्य में उनके स्थायी निवास स्थान तक यात्रा करता।

स्पष्टीकरण :– इस पैरा में, पद ''लोक आयुक्त'' के परिवार के सदस्य'' का तात्पर्य उनकी विधवा, उनके बच्चे और उनके सौतेले बच्चे से है जो उनके साथ सामान्य रूप से निवास कर रहे थे और उनकी मृत्यु के समय उन पर पूर्णतः आश्रित थे।

8– लोक आयुक्त सेवानिवृत्त हो, तब वे और उनके परिवार के सदस्य उस स्थान से जहॉ वे अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व कर्तव्यारूढ़ थे, उपर्युक्त पैरा 7 के प्रयोजनों के लिए घोषित अपने गृह राज्य में स्थित स्थायी निवास स्थान तक यात्रा करने और व्यक्तिगत सामान का परिवहन करने के लिये निम्नलिखित व्यय के हकदार होंगे। यदि लोक आयुक्त उपर्युक्त पैरा–7 के प्रयोजनों के लिए अपने गृह घोषित राज्य में स्थित स्थायी निवास स्थान से भिन्न स्थान में बसना चाहे तो उनकी यात्रा और उनके परिवार के सदस्यों की यात्रा पर और व्यक्तिगत सामान के परिवहन के लिए उनके द्वारा वास्तव में उपगत व्यय के मध्दे उनकी, प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि वही होगी, जो उनको अनुमन्य होती यदि वे वास्तव में अपने गृह राज्य में स्थित अपने स्थायी निवास को गये होते या उनके गृह राज्य में स्थायी निवास से भिन्न स्थान को यात्रा के लिये प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि, इसमें जो भी कम हो, उपर्युक्त यथावत हक निम्नलिखित होंगे, अर्थात :–

(क) जब रेल या स्टीमर से यात्रा की जाय, तब–

(एक) लोक आयुक्त स्वयं, वातानुकूलित कम्पार्टमेंट/केबिन को छोड़कर उच्चतम श्रेणी के किसी आरक्षित कम्पार्टमेंट या कैबिन में यात्रा कर सकते हैं। लोक आयुक्त परिवार के सदस्य भी लोक आयुक्त के साथ ऐसे आरक्षित कम्पार्टमेंट या कैबिन में यात्रा कर सकते हैं,

(दो) आरक्षित कम्पार्टमेंट या कैबिन में यात्रा न करने वाले लोक आयुक्त के परिवार के सदस्य, वातानुकूलित कम्पार्टमेंट/केबिन को छोड़कर, उच्चतम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं,

(ख) जब सड़क से यात्रा की जाय, तब–

(एक) 64 पैसे प्रति किलोमीटर की दर पर भत्ता,

(दो) उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिये जो या तो उनके साथ या उनके बाद या उनके पूर्व यात्रा करें परिवार के एक सदस्य के लिये 32 पैसे प्रति किलोमीटर का भत्ता, यदि परिवार के दो सदस्य यात्रा करें तो 32 पैसे किलोमीटर का अतिरिक्त भत्ता और यदि परिवार के दो से अधिक सदस्य यात्रा करें तो 32 पैसे प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भत्ता,

परन्तु जब किसी भाग की यात्रा रेल से की जा सकती हो तब उस भाग के सम्बन्ध में दावाकृत भत्ता उस धनराशि से अधिक नहीं होगा जो लोक आयुक्त और उनके परिवार के सदस्यों

को अनुमन्य होता यदि वह ऐसे भाग पर रेल से उच्चतम श्रेणी में वातानुकूलित को छोड़कर यात्रा करते;

(ग) स्वामी के जोखिम पर पैसिंजर ट्रेन या स्टीमर से एक मोटर कार का परिवहन, और

(घ) अन्य व्यक्तिगत सामान के परिवहन के लिए ऐसी धनराशि से जो सड़क से और मालगाड़ी या स्टीमर से 2240 किलोग्राम माल के परिवहन में व्यय हो, अनाधिक धनराशि और ऐसे व्यक्तिगत सामान के चढ़ाने–उतारने में उपगत व्यय,

परन्तु यदि लोक आयुक्त द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के दिनांक से छःमास के भीतर यात्रा पूरी न की जाय तो उपर्युक्त हक व्यपगत हो जायेगा। उनके परिवार के सदस्य उनकी यात्रा के छः मास के भीतर या उनकी यात्रा के एक मास के पूर्व यात्रा कर सकते हैं। यथास्थिति, छः मास या एक मास की अवधि की गणना लोक आयुक्त की सेवा निवृत्ति के दिनांक से की जायगी।

स्पष्टीकरण :– इस पैरा के प्रयोजनार्थ, ''लोक आयुक्त के परिवार के सदस्य'' का तात्पर्य उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके सौतेले बच्चों से है जो सामान्यतया उनके साथ निवास करते हों और पूर्णतया उन पर आश्रित हो।

9– लोक आयुक्त अपनी यात्रा भत्ता के बिल के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होंगे।

———

परिशिष्ट–2

(नियम 8 देखिये)

छुट्टी

लोक आयुक्त को निम्नलिखित छुट्टी दी जा सकती हैं :–

(क) ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के 1/11 भाग तक किन्तु एक बार में अधिक से अधिक 120 दिन तक यदि देय हो, पूरे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पर छुट्टी।

(ख) पूरे कार्यकाल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, आधे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पर अधिक से अधिक चार मास तक की चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी।

(ग) पूरे कार्यकाल में अधिक से अधिक तीन मास तक बिना वेतन के असाधारण छुट्टी।

टिप्पणी–1– एक बार में उपर्युक्त प्रकार की समस्त या किन्हीं दो प्रकार की छुट्टियॉ मिलाकर स्वीकृत की जा सकती हैं।

टिप्पणी–2– लोक आयुक्त के खाते में छुट्टियॉ उस दिन व्यपगत हो जायेंगी जब वह पद रिक्त कर देते हैं।

आज्ञा से,
भूरे लाल,
सचिव।

———

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–2
———————

*संख्या 4868 / 39(2)–39(6)–1975
लखनऊ, 30 अगस्त, 1977

———

विज्ञप्ति

———

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) द्वारा निहित अधिकार का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विशम्भर दयाल, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कृपा नारायण श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव।

---

*सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक, दिनांक 30 अगस्त, 1977 में प्रकाशित।

———

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–2

———————

*संख्या 5156 / उन्तालिस (2)–39(6)–1975
लखनऊ, 15 सितम्बर, 1977

———

अधिसूचना

———

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल में निहित शक्ति के आधार पर राज्यपाल ने श्री विशम्भर दयाल को उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त इस अनुभाग की अधिसूचना संख्या 4868 / उन्तालिस(2)–39(6)–1975, दिनांक 30 अगस्त, 1977 द्वारा नियुक्त किया था, अतएव एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री विशम्भर दयाल ने दिनांक 14 सितम्बर, 1977 के पूर्वान्ह में शपथ ग्रहण करने के पश्चात अपना पद ग्रहण किया।

राज्यपाल की आज्ञा से,
इन्द्र मोहन सहाय,
आयुक्त एवं सचिव।

———————————————————————————

*सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक, दिनांक 15 सितम्बर, 1977 में प्रकाशित।

———

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4

———

संख्या 23 / 39(4)–83–20(30)–81
लखनऊ, 4 जनवरी, 1983

———

विज्ञप्ति

———

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) द्वारा निहित अधिकार का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन, सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,
राजेन्द्र पाल खोसला,
मुख्य सचिव।

———

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4

———

संख्या 126/39(4)–83–20(30)–81
लखनऊ, 20 जनवरी, 1983

———

अधिसूचना

———

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल में निहित शक्ति के आधार पर राज्यपाल ने श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन को उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त इस अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 23/39(4)/83–20(30)–81, दिनांक 4 जनवरी, 1983 द्वारा नियुक्त किया गया था, अतएव एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन ने दिनांक 10 जनवरी, 1983 के अपरान्ह में शपथ ग्रहण करने के पश्चात अपना पद ग्रहण किया।

राज्यपाल की आज्ञा से,
भूरे लाल,
सचिव।

———

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4
———————
संख्या 3936/उन्तालिस (4)–89
लखनऊ, दिनांक 10 जनवरी, 1989
————
विज्ञप्ति
————
नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) द्वारा निहित अधिकार का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री के0एन0 गोयल, सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,
शिरोमणि शर्मा,
मुख्य सचिव।

———————

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4

संख्या 535/39(4)–20(97)–88
लखनऊ, दिनांक 4 फरवरी, 1989

अधिसूचना

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में निहित शक्ति के आधार पर श्री राज्यपाल ने श्री कैलाश नाथ गोयल को उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त इस अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 3936/39(4)–29(97)/88, दिनांक 10 जनवरी, 1989 द्वारा नियुक्त किया था, अतएव एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री कैलाश नाथ गोयल ने दिनांक 28 जनवरी, 1989 के पूर्वान्ह में शपथ ग्रहण करने के पश्चात अपना पद ग्रहण किया।

राज्यपाल की आज्ञा से,
आर0 रमणी,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

सतर्कता अनुभाग–4

संख्या–325/39–4–95–15(12)/94

लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 1995

विज्ञप्ति

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) द्वारा निहित अधिकार का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्री राजेश्वर सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,
बृजेन्द्र सहाय
मुख्य सचिव।

संख्या–325/39–4–95–15(12)/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव
2. मुख्य मंत्री, समस्त मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के निजी सचिव
3. शासन के समस्त प्रमुख सचिव तथा सचिव
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी
6. उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के सचिव
7. उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रधान कार्यालयाध्यक्ष
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
9. संबंधित अधिकारी
10. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
11. सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
12. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
13. महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

14. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
15. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा
16. भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।

आज्ञा से,
प्रवीण चन्द्र शर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या–325/39–4–95–15(12)/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को दिनांक 30 जनवरी, 1995 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–4, परिनियत आदेश में प्रकाशित करने तथा उसकी 1500 प्रतियॉ सतर्कता अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश, सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
प्रवीण चन्द्र शर्मा
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4
संख्या– 714/39–4–95–15(12)/94
लखनऊ दिनांक 2 मार्च, 1995

अधिसूचना

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा (3) की उप धारा (1) में निहित शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल ने श्री राजेश्वर सिंह को विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 325/39–4–95–15(12)/94, दिनांक 30 जनवरी, 1995 द्वारा उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त नियुक्त किया था। अतएव एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री राजेश्वर सिंह ने दिनांक 9 फरवरी, 1995 के पूर्वान्ह में शपथ ग्रहण करने के पश्चात अपना पद ग्रहण किया।

राज्यपाल की आज्ञा से,
प्रवीण चन्द्र शर्मा,
प्रमुख सचिव

संख्या –714(1)/39–4–95–15(12)/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव,
2. मुख्य मंत्री, समस्त मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के निजी सचिव
3. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी
6. उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के सचिव
7. उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रधान कार्यालयाध्यक्ष
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
9. संबंधित अधिकारी
10. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
11. सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
12. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

13. महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
14. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
15. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा
16. भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।

आज्ञा से,
अजय कुमार ढौडियाल,
अनु सचिव

संख्या –714(2)/39–4–95–15(12)/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 02 मार्च, 1995 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड–(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करने तथा उसकी 1500 प्रतियॉ सतर्कता अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश, सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
अजय कुमार ढौडियाल,
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4
संख्या–600/39–4–2000–15(2)/2000
लखनऊ : दिनांक : 7 मार्च, 2000

विज्ञप्ति

———

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) द्वारा निहित अधिकार का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्री एस0सी0 वर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,
डा0 योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव

संख्या–600(1)/39–4–2000–15(2)/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सचिव
2. मुख्य मंत्री, समस्त मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के निजी सचिव
3. शासन के समस्त प्रमुख सचिव तथा सचिव
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी
6. उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के सचिव
7. उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रधान कार्यालयाध्यक्ष
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
9. संबंधित अधिकारी
10. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
11. सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
12. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
13. महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
14. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
15. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा

16. भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।

आज्ञा से,
राधे श्याम पाण्डेय
संयुक्त सचिव

संख्या–600(2)/39–4–2000–15(2)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को दिनांक 7 मार्च, 2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–4, परिनियत आदेश में प्रकाशित करने तथा उसकी 1500 प्रतियॉ सतर्कता अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश, सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
राधे श्याम पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4
संख्या–40लो0आ0/39–4–2006–15(5)/2006
लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च, 2006

विज्ञप्ति

———

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) द्वारा निहित अधिकार का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्री एन0के0 मेहरोत्रा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,
आर0 रमणी
मुख्य सचिव

संख्या–40लो0आ0(1)/39–4–2006–15(5)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव
2. मुख्य मंत्री, समस्त मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के निजी सचिव
3. शासन के समस्त प्रमुख सचिव तथा सचिव
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी
6. उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के सचिव
7. उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रधान कार्यालयाध्यक्ष
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
9. संबंधित अधिकारी
10. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
11. सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
12. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
13. महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
14. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
15. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

16. भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।

आज्ञा से,
अवधेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव

संख्या–40लो0आ0(।।)/39–4–2006–15(5)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को दिनांक मार्च, 2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–4, परिनियत आदेश में प्रकाशित करने तथा उसकी 1500 प्रतियॉ सतर्कता अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश, सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
अवधेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सतर्कता अनुभाग–4
संख्या– लो0आ0–114/39–4–2006–15(5)/2006
लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2006

अधिसूचना

नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा (3) की उप धारा (1) में निहित शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल ने श्री नरेन्द्र किशोर मेहरोत्रा को विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 40लो0आ0/39–4–2006–15(5)/2006 दिनांक 9 मार्च, 2006 द्वारा उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त नियुक्त किया था। अतएव एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र किशोर मेहरोत्रा ने दिनांक 16 मार्च, 2006 के पूर्वान्ह में शपथ ग्रहण करने के पश्चात अपना पद ग्रहण किया।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सुरजीत कौर संधू
प्रमुख सचिव

संख्या– लो0आ0–114(1)/39–4–2006–15(5)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव,
2. मुख्य मंत्री, समस्त मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के निजी सचिव
3. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी
6. उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के सचिव
7. उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रधान कार्यालयाध्यक्ष
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
9. संबंधित अधिकारी
10. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
11. सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
12. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

13. महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
14. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
15. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा
16. भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।

आज्ञा से,
अवधेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव

संख्या– लो0आ0–114(2)/39–4–2006–15(5)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 16 मार्च, 2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड–(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करने तथा उसकी 1500 प्रतियॉ सतर्कता अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश, सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
अवधेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

सतर्कता अनुभाग–4,

*संख्या 1020 / उन्तालिस(4)–39(13–4)–78

लखनऊ, 3 मार्च, 1978

————————

अधिसूचना

प.आ. 81

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के परामर्श से निम्नांकित वर्ग के लोक सेवकों को उक्त खण्ड (3) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करते है :–

(1) राजस्व परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य,

(2) मण्डलायुक्त,

(3) जिलाधिकारी,

(4) राज्य स्तर के अन्य विभागाध्यक्ष तथा अतिरिक्त विभागाध्यक्ष, जो मद (1) से (3) में सम्मिलित नहीं है,

(5) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (5) के मद (ख)(ग) और (घ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर अधिसूचित किये जाये, ऐसे समस्त निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों के अध्यक्ष (जिसके अन्तर्गत उक्त विवरण का प्रत्येक पदाधिकारी भी हैं, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) तथा प्रबन्ध निदेशक,

(6) नगर महापलिकाओं, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के प्रशासक।

आज्ञा से

इन्द्र मोहन सहाय

आयुक्त एवं सचिव।

————————————————————————————————

*सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक, दिनांक 3 मार्च, 1978 में प्रकाशित।

उत्तर प्रदेश शासन

सतर्कता अनुभाग–4,

*संख्या 1495 / उन्तालिस(4)–39(13)–77

लखनऊ, 9 मार्च, 1978

————————

अधिसूचना

प0आ0 82

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (5) के मद (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में समस्त –

(1) नगर महा पालिकाओं,
(2) नगर पालिकाओं,
(3) जिला परिषदों,
(4) क्षेत्र समितियों,
(5) नगर क्षेत्र समितियों,
(6) अधिसूचित क्षेत्र समितियों,
(7) विकास प्राधिकरणों, तथा
(8) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों,

को उक्त मद (क) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करते हैं।

आज्ञा से,
इन्द्र मोहन सहाय,
सचिव।

————————————————————————————————

*सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक, दिनांक 9 मार्च, 1978 में प्रकाशित।

उत्तर प्रदेश सरकार

सतर्कता अनुभाग–4,

*संख्या 898 / 39(4)–39(13–1)–78

लखनऊ, 24 अगस्त, 1978

———————

अधिसूचना

प0आ0–357

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (5) की मद (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नांकित निगमों को उक्त मद (ख) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करते हैं :–

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद,
(2) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
(3) उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम,
(4) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,
(5) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
(6) उत्तर प्रदेश वन निगम, तथा
(7) उत्तर प्रदेश जल निगम।

आज्ञा से

इन्द्र मोहन सहाय,

सचिव

———————————————————————————

*सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक, दिनांक 24 अगस्त, 1978 में प्रकाशित।

उत्तर प्रदेश सरकार

सतर्कता अनुभाग–4,

संख्या 158/उन्तालीस(4)/181–12(2)/78

लखनऊ, दिनांक 22 मई, 1981

————————

अधिसूचना

प0आ0 187

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (5) के पैरा (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नांकित सरकारी कम्पनियों तथा उनकी सहायक कम्पनियों को उक्त उपबन्ध के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करते हैं :–

<u>सरकारी कम्पनियॉ :–</u>

(1) उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम, लिमिटेड,
(2) उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन, लिमिटेड,
(3) दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी, लिमिटेड,
(4) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, लिमिटेड,
(5) उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कारपोरेशन, लिमिटेड,
(6) दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0पी0, लिमिटेड,
(7) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, लिमिटेड,
(8) उत्तर प्रदेश स्टेट बासवेयर कारपोरेशन, लिमिटेड,
(9) उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन, लिमिटेड,
(10)यू0पी0 स्टेट लेटर डेवलपमेन्ट एण्ड मारकेटिंग कारपोरेशन, लिमिटेड,
(11) उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लिमिटेड,
(12) यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड,
(13) आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड,
(14) उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम, लिमिटेड,
(15) उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम, लिमिटेड,
(16) उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम, लिमिटेड,
(17) प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम, लिमिटेड,
(18) उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम, लिमिटेड,
(19) उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम, लिमिटेड,
(20) लखनऊ मण्डलीय विकास निगम, लिमिटेड,

(21) आगरा मण्डल विकास निगम, लिमिटेड,
(22) इलाहाबाद मण्डल विकास निगम, लिमिटेड,
(23) मेरठ मण्डल विकास निगम, लिमिटेड,
(24) गोरखपुर मण्डल विकास निगम, लिमिटेड,
(25) वाराणसी मण्डल विकास निगम, लिमिटेड,
(26) उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लिमिटेड,
(27) कुमायूं मण्डल विकास निगम, लिमिटेड,
(28) गढ़वाल मण्डल विकास निगम, लिमिटेड,
(29) उपाय लिमिटेड,
(30) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन, लिमिटेड,
(31) उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम, लिमिटेड,
(32) उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज विकास निगम, लिमिटेड,
(33) उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) गन्ना बीज एवं विकास निगम, लिमिटेड,
(34) उत्तर प्रदेश (रोहिलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम, लिमिटेड,
(35) उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, लिमिटेड,
(36) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, लिमिटेड,
(37) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लिमिटेड,
(38) उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लिमिटेड,
(39) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लिमिटेड,
(40) तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम, लिमिटेड,
(41) उत्तर प्रदेश हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, लिमिटेड,
(42) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम, लिमिटेड,
(43) उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, लिमिटेड,
(44) उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन, लिमिटेड,

<u>सहायक कम्पनियॉ :–</u>

(1) यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कं0 (नं0–1), लिमिटेड,
(2) यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कं0 (नं0–2), लिमिटेड,
(3) यू0पी0 डिजिटल्स, लिमिटेड,
(4) यू0पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स, लिमिटेड,
(5) उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन, लिमिटेड,
(6) हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर), लिमिटेड,

(7) हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (गोरखपुर बस्ती), लिमिटेड,
(8) उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स, लिमिटेड,
(9) कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, लिमिटेड,
(10) टेलीट्रानिक्स, लिमिटेड,
(11) ट्रांसकेबिल्स लिमिटेड,
(12) नार्दर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड,
(13) गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम, लिमिटेड,
(14) किच्छा शुगर कम्पनी, लिमिटेड,
(15) छाता शुगर कम्पनी, लिमिटेड,
(16) चांदपुर शुगर कम्पनी, लिमिटेड,
(17) नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी, लिमिटेड,
(18) अपट्रान सिम्पैक, लिमिटेड,
(19) अपट्रान कैपेसिटर्स, लिमिटेड,
(20) बुन्देलखण्ड कान्क्रीट, स्ट्रक्चरल्स, लिमिटेड,
(21) उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन एण्ड एप्लाइन्सेज, लिमिटेड,
(22) उत्तर प्रदेश पाट्रीज (प्रा0), लिमिटेड,
(23) उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर (प्रा0), लिमिटेड,
(24) कृष्णा फासनर्स, लिमिटेड,
(25) उत्तर प्रदेश सफिंग्स लिमिटेड,
(26) फैजाबाद सफिंग्स लिमिटेड,
(27) उत्तर प्रदेश प्रेस ट्रस्ड प्राडक्ट्स, लिमिटेड,
(28) उत्तर प्रदेश एब्सकाट (प्रा0), लिमिटेड,
(29) यू0पी0एस0आई0सी0 पाटरीज।

आज्ञा से
भूरे लाल,
सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4,
संख्या 835 / 39–4–92–12(3)–78
लखनऊ, 22 अप्रैल, 1992

————————

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975) की धारा 2 के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो यथास्थिति निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकारियों, निगमों, सरकारी कम्पनियों या सोसाइटियों में से किसी की सेवा में है या उसका वेतन भोगी है, उक्त खण्ड (ञ) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होगा।

1. जल संस्थान,
2. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
3. जिला बेसिक शिक्षा समिति,
4. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
5. कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
6. उत्तर प्रदेश भारतीय औषधि परिषद,
7. उत्तर प्रदेश केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड,
8. उत्तर प्रदेश केन्द्रीय शिया वक्फ बोर्ड,
9. श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर समिति,
10. श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर समिति,
11. उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग परिषद,
12. संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
13. उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद,
14. उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद,
15. उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन,
16. मुरादाबाद मण्डल विकास निगम,
17. उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
18. उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम,
19. उत्तर प्रदेश कमान एरिया, कुक्कुट विकास निगम,
20. उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम,

21. उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम,
22. उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम,
23. उत्तर प्रदेश अल्पार्थक लघु जल विद्युत निगम,
24. उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम,
25. उत्तर प्रदेश राज्य हैण्डलूम निगम,
26. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
27. उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी,
28. उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी,
29. उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी,
30. उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी,
31. उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसायटी,
32. हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट,
33. इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी,
34. उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण संस्थान,
35. उत्तर प्रदेश रिमोट सेनसिंग अप्लीकेशन सेन्टर,
36. उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान,
37. उत्तर प्रदेश नान कन्वेन्शनल इनर्जी डेवलपमेन्ट अथार्टी,
38. उत्तर प्रदेश राज्य सैनिक कल्याण परिषद्,
39. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम,

आज्ञा से,
प्रवीण चन्द्र शर्मा,
सचिव।

संख्या 835(1)/39–4–92–12(3)–78 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक/प्रशासनिक सुधार/राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।
2. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

उत्तर प्रदेश सरकार
सतर्कता अनुभाग–4
संख्या–लो0आ0–319 / 39–4–07–15(5) / 06
लखनऊ, दिनांक 01 अप्रैल, 2008
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975) की धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश उप लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008 कही जायेगी।
(2) यह 1 अक्टूबर, 2007 से प्रारम्भ होगी।

परिभाषाएं

2– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, –
(क) ''परिशिष्ट'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट से है;
(ख) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
(ग) ''मुख्यालय'' का तात्पर्य लखनऊ से है जहॉ उप लोक आयुक्त का कार्यालय स्थित है;

छुट्टी

3– (1) उप लोक आयुक्त विभिन्न प्रकार की छुट्टी का, जैसा कि परिशिष्ट–एक में दिया गया है, हकदार होगा।
(2) लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त को बजट और प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त ऐसी छुट्टी, अवकाश यात्रा सुविधा, शासकीय यात्रा की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

पेंशन

4– (1) इस नियम में, पद –
(क) ''पूर्व सेवा'' का तात्पर्य उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पूर्व की गयी सरकारी सेवा से है;

(ख) ''पूर्व सेवा के लिये पेंशन'' का तात्पर्य पूर्व सेवा के लिये अनुमन्य पेंशन से है, जिसके अन्तर्गत पेंशन का संराशीकृत भाग, यदि कोई हो, और सेवानिवृत्ति उपादान के बराबर पेंशन भी है;

(ग) ''कुल पेंशन'' का तात्पर्य ऐसी पेंशन से है जो सुसंगत नियमों के अधीन, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को, जिसके अन्तर्गत आल इंडिया सर्विसेज (डेथ– कम–रिटायरमेंट बेनिफ़िट्स) रूल्स, 1958 के साथ पठित हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 का नियम 2 भी है, पूर्व सेवा के लिये जिसकी संगणना उप लोक आयुक्त के रूप में की गयी सेवा की अवधि को जोड़कर की जायेगी, अनुमन्य होगी।

(2) जहॉ उप लोक आयुक्त को पूर्व सेवा के लिये कोई पेंशन अनुमन्य हो, वहॉ वह उप लोक आयुक्त के रूप में कम से कम छः वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर ऐसी अतिरिक्त पेंशन का हकदार होगा, जो पूर्व सेवा की पेंशन और कुल पेंशन की धनराशि के अन्तर की धनराशि के बराबर होगी।

(3) जहॉ किसी पूर्व सेवा के लिये उप लोक आयुक्त को कोई पेंशन अनुमन्य न हो वहॉ वह उप लोक आयुक्त के रूप में अपना पूरा कार्यकाल समाप्त होने पर, इस रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये रू0 1,200/– प्रतिवर्ष की पेंशन के हकदार होंगे।

सेवा की अन्य शर्तें

5– उप लोक आयुक्त के अन्य भत्ते और सेवा की शर्तें, जिसमें किराया मुक्त सरकारी आवास या मकान किराया भत्ता, वाहन या वाहन भत्ता, चिकित्सीय उपचार के लिये सुविधायें, यात्रा और अन्य भत्ते, सामान्य भविष्य निधि, उपादान, पारिवारिक पेंशन, मंहगाई भत्ता, निवृत्तोत्तर अवकाश नकदीकरण और चिकित्सा, और अन्य सुविधायें, जिनके लिये अधिनियम या इस नियमावली में स्पष्ट रूप से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, यथावत् वही होंगी, जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पर तत्समय प्रयोज्य हों।

आज्ञा से,
जे.एस. दीपक
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट–एक
(नियम 3 देखिये)
छुट्टी

उप लोक आयुक्त को निम्नलिखित छुट्टी दी जा सकेगी, :–

(क) ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के 1/11 भाग तक, किन्तु एक बार में अधिकतम 300 दिन तक, यदि देय हों, पूर्ण वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पर छुट्टी।

(ख) पूरे कार्यकाल के दौरान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, अर्द्ध वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पर अधिकतम चार माह तक, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी।

(ग) पूरे कार्यकाल के दौरान अधिकतम तीन माह तक बिना वेतन पर असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जा सकेगी।

टिप्पणी– 1 – एक बार में उपरोक्त सभी प्रकार की या किन्हीं दो प्रकार की छुट्टी स्वीकृत की जा सकेगी।

टिप्पणी– 2 – उप लोक आयुक्त के खाते में छुट्टी उस दिन व्यपगत हो जायेगी जब वह पद रिक्त कर देंगे।

आज्ञा से
जे0एस0 दीपक
प्रमुख सचिव।

संख्या–लो0आ0–319(1)/39–4–2007–15(5)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 01 अप्रैल, 2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करने तथा उसकी 1500 प्रतियां सतर्कता अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
जगदीश सिंह
अनु सचिव

संख्या–लो0आ0–319(2)/39–4–2007–15(5)/2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली।
4. लोक निर्माण अनुभाग–9,
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2/3,
6. राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2,
7. चिकित्सा अनुभाग–7,
8. गोपन अनुभाग–1 को उनके पत्र सं0–4/2/5/2005 सीएक्स0 (1) दिनांक 20 मार्च, 2008 के संदर्भ में।
9. विधायी अनुभाग–1,
10. अनुभागीय गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जगदीश सिंह
अनु सचिव

———